<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—74/2014/223 (2014/000083)

1. पूसा पुत्र मन्दरूप, जाति गूजर, नि0 ग्राम बेवन्जा, तह0 नसीराबाद जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. खनिज अभियंता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. कन्हैयालाल पुत्र नारायण, जाति गुजर, नि0 बेवन्जा, तह0 नसीराबाद ।
4. ओमप्रकाश पुत्र नारायण, जाति गुजर, नि0 बेवन्जा, तह0 नसीराबाद ।
5. प्रहलाद पुत्र नारायण जाति गुजर, नि0 बेवन्जा तह0 नसीराबाद ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 6.11.2013 अंतर्गत वाद संख्या 22/2016.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री निर्मन कुमार जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः—28.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.11.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेवन्जा की कृषि आराजी खसरा नंबर 2815 रकबा 0.51 हैव0 किस्म बारानी–3 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 पूसा है । उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य हतु खातेदारी अधिकारों के साथ दी गई थी । प्रतिवादी संख्या 5 ने पत्र द्वारा वादी को अवगत कराया कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 खनन कार्य कर रहे है । प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का उक्त कार्य काश्तकारी कानून का उल्लंघन है । अतः वादग्रस्त आराजी से खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक

6.11.2013 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 राज्य सरकार का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये। अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम तथा धारा 177 सपठित धारा 63 राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों के प्रतिकूल एवं धारा 178 (2) राज0का0अ0 के प्रावधानों के प्रतिकूल है । अधी0न्याया0 की पत्रावली रेस्पो0 संख्या 4 से 8 के द्वारा अपीलाधीन भूमि पर खनन कार्य किये जाने के संबंध में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये केवल मात्र पटवारी हल्का के हल्फिया बयान कराये गये जिसमें भी पटवारी हल्का ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि खसरा गिरदावरी संवत् 2066 से 2068 मके अनुसार जवार व मूंग की काश्त दर्ज है, काश्त की जाती रही है उनके द्वारा अपीलाधीन भूमि के किसी भी भाग पर खनन कार्य होते हुए नहीं देखा गया है । इस प्रकार अधी0न्याया0 का निर्णय दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 2 के द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 तहसीलदार के समक्ष पत्र प्रस्तुत किया गया कि खसरा नंबर 2815 का एक भाग जिसका नाप 8x8x5 के भाग पर खड्डा खुदा हुआ है, मौके पर कोई खनन कार्य करते नहीं पाया गया, खनन कार्य के संदर्भ में कोई यंत्र, औजार नहीं पाये गये, मात्र विवादित भूमि के एक भाग पर खड्डा जो कि पुराना हो या नया या प्राकृतिक खड्डा हो के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया । वादी ने केवल मात्र खनिज अभियंता के पत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है किन्तु खनिज अभियंता विभाग की और से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई । बह समें यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 के विरूद्ध कार्यवाही करने से पूर्व राज0काश्त0अधि0 फोर्म 10 सरकारी टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स 1955) के 62–ए के तहत भी कोई नोटिस ही नहीं दिया जबकि अपीलाधीन भूमि के सदर्भ में कार्यवाही करने से पूर्व नोटिस दिया जाना अतिआवश्यक था । अधी0न्याया0 द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 6.11.2013 निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 6.11.2013 की उनके अधिवक्ता के द्वारा कोई सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई बल्कि दिनांक 18.2.2014 को उस समय जानकारी हुई जब पटवारी हल्का ने अपीलाधीन भूमि का कब्जा छोड़ने, बेदखल करने, सिवायचक दर्ज करने बाबत् अपीलांट को कहा । तत्पश्चात् अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाकिव है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर निर्णित की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित भूमि अपीलांट को कृषि कार्य हेतु दी गई थी किन्तु अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 द्वारा विवादित भूमि पर खनन कार्य किये जाने से अधी0न्याया0 ने वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को

सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण पेश किये है वे उचित प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा धारा 177 राज0काश्त0अधि0 1955 का अवलोकन किया गया । तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा आपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध अवैध खनन मानते हुए ग्राम बेवन्जा स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 2815 रकबा 0.51 है0 किस्म बारानी के संबंध में यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि का खातेदार पूसा वल्द मन्दरूप गुजर द्वारा खनिज अभियंता के पत्रांक के अनुसार खनन कार्य किया जा रहा है जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा पेश कर कथन किया कि उनके द्वारा कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया जा रहा है । हल्का पटवारी द्वारा अपने बयानों एवं जिरह में कथन किया कि विवादित भूमि पर कई जगह खड्डे बना रखे है परन्तु जिरह में यह भी कथन किया है कि खसरा गिरदावरी 2066 व 2067 में काश्त दर्ज है तथा यह भी कथन किया कि मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलांट/अप्रार्थी मौजूद नहीं था एवं अपीलांट/अप्रार्थी को खनन कार्य करते हुए नहीं देखा तथा गड्डे कितने गहरे व लंबे है पता नहीं है। पटवारी हल्का के उक्त बयानों से यह स्पष्ट है कि मौके पर फसल काश्त हो रही है तथा पटवारी बयानो से यह भी साबित नहीं होता है कि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा ही खनन कार्य के उद्देश्य से खड्डे किये गये हो । यह प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज होने के बाद यदि अप्रार्थी उपस्थित होने पर प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों का विरोध करे तो वाद के रूप में रूपातंरित होकर वाद के समान कार्यवाही की जाती है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा सीधे ही इस प्रकरण को दिनांक 8.4.2011 की आदेशिका के अनुसार वाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया जो विधिसम्मत् नहीं है । अधी0न्याया0 को धारा 178 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिये जो नहीं की गई । धारा 178 राज0काश्त0अधि0 निम्न प्रकार हैः– "

9. धारा 178–धारा 177 के अंतर्गत डिक्री या आदेश–(1) धारा 177 के अंतर्गत डिक्री या आदेश में किसी आसामी को या तो समस्त भूमि क्षेत्र से या उसके किसी भाग से जिसका न्यायालय उस मामले की सूपंर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए्ु निदेश दे, बेदखल करने का निदेश दे सकेगा ।

(2) उक्त डिक्री या आदेश से यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आदेश की तारीख से तीन महीने के अंदर या ऐसी आगे बढ़ाई गई अवधि के अंदर जिसके लिये न्यायालय कारण लिखकर अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसी क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझते तो डिक्री या आदेश को लागत के अलावा अन्य किसी के लिये निष्पादन नहीं किया जावेगा ।

10. इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सीधे ही सारी भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दे दिये जबकि धारा 178 (1) के अनुसार जितने भू–भाग पर अवैध खनन कार्य सिद्ध होता है उतने भू–भाग से बेदखली के आदेश ही पारित किये जा सकते थे तथा धारा 178 (2) के अनुसार बेदखली आदेश पारित करने से पूर्व

अप्रार्थी/अपीलांट को खनन किये गये भू–भाग को पुनः यथास्थिति कायम रखने का अवसर निश्चित समय अवधि में प्रदान करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा उपरोक्तानुसार कोई भी कार्यवाही के आदेश अपने निर्णय में नहीं दिये गये है जिसे विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

11. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6.11.2013 खारिज किया जाता है । प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 28.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर